भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या - 3463**

उत्तर देने की तारीख - 11/08/2025

सोमवार, 20 श्रावण, 1947 (शक)

**"घोस्ट केंद्र" की शिकायतें**

**3463. एडवोकेट प्रिया सरोज:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में सरकार की कौशल विकास योजना के अंतर्गत सक्रिय कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन केंद्रों में पर्याप्त बुनियादी ढाँचा, प्रशिक्षक, उपकरण और इंटरनेट सुविधाएँ उपलब्ध हैं;

(ग) ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रों में औसत ड्रॉपआउट और प्रशिक्षण पूरा करने की दर कितनी है;

(घ) क्या सरकार को "घोस्ट केंद्रों" या निष्क्रिय केंद्रों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों की सूची का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने ऐसे कदाचार में शामिल एजेंसियों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

**(क) से (ग):** भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल और कौशल-उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है।

भारत और उत्तर प्रदेश राज्य में एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों का विवरण निम्नानुसार है:

| योजना(एँ) | अखिल भारतीय | | उत्तर प्रदेश | |
|---|---|---|---|---|
| | प्रशिक्षित | प्रमाणित | प्रशिक्षित | प्रमाणित |
| पीएमकेवीवाई (2015-16 से 30 जून 2025 तक) | 1,64,07,263 | 1,29,21,524 | 25,06,438 | 19,90,257 |
| जेएसएस योजना (2018-19 से 30 जून 2025 तक) | 31,38,518 | 30,96,367 | 5,75,064 | 5,71,026 |
| एनएपीएस (2018-19 से 30 जून 2025 तक) | 40,81,154 | 6,76,634 | 3,03,818 | 49,121 |
| सीटीएस (आईटीआई) (सत्र 2018 से सत्र 2024 तक) * | 92,66,381 (नामांकित ) | 55,86,435 | 21,61,826 (नामांकित) | 11,75,305 |

** 2024 तक नामांकित और 2023 तक प्रमाणित*

एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र आवश्यकतानुसार स्थापित या संचालित किए जाते हैं। भारत और उत्तर प्रदेश में एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्थापित या संचालित प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण (दिनांक 30.06.2025 तक) इस प्रकार है:

| | पीएमकेवीवाई 4.0 केंद्र (एसटीटी +एसपी) * | जेएसएस केन्द्र- | एनएपीएस प्रतिष्ठान | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) |
|---|---|---|---|---|
| अखिल भारतीय | 12,838 | 289 | 51,985 | 14,615 |
| उत्तर प्रदेश | 2,588 | 47 | 6,759 | 3,258 |

** अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और विशेष परियोजनाएं (एसपी)*

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने प्रशिक्षण केंद्रों के प्रत्यायन एवं संबद्धता तथा सतत निगरानी के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। प्रशिक्षण केंद्रों का प्रत्यायन एवं संबद्धता (ए एंड ए) एक गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों का मूल्यांकन पूर्व-निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है ताकि प्रशिक्षण अवसंरचना के मानकीकरण को सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्यायन मानक, अवसंरचना, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी मानदंडों का एक संयोजन है। इन मानदंडों के अनुपालन की पुष्टि के लिए केंद्रों के भौतिक निरीक्षण किए जाते हैं। केवल

अपेक्षित मानकों को पूरा करने वाले केंद्रों को ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा लक्षित समूह को जेएसएस योजना के अंतर्गत उनके डोरस्टेप्स (दहलीज) के निकट स्थित अपनी बुनियादी संरचना में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नए जेएसएस की स्वीकृति के समय, औज़ारों और अन्य कार्यालयी बुनियादी अवसंरचना की खरीद के लिए 20 लाख रुपये का एकबारगी अनावर्ती सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, कौशल विकास मंत्रालय ने 100 जेएसएस के औज़ारों और उपकरणों को उन्नत करके उन्हें मॉडल जेएसएस के रूप में स्थापित किया है। व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईटीआई के पास संबंधित ट्रेडों के लिए आवश्यक उपकरण सहित अपनी स्थायी बुनियादी संरचना है। एनएपीएस, के अंतर्गत, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ही शिक्षुता प्रशिक्षण दिया जाता है।

**(घ) एवं (ङ):** कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में लगी एजेंसियों/संस्थानों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एमएसडीई द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

**पीएमकेवीवाई**

- पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, मान्यता और संबद्धता के अलावा, प्रशिक्षण के पूरे चक्र की निगरानी स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल के माध्यम से की जाती है। आधार-आधारित नामांकन और आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) धोखाधड़ी गतिविधियों, फर्जी नामांकनों को रोकती है और उम्मीदवारों की उपस्थिति पर नज़र रखती है। फर्जी नामांकन के किसी भी कदाचार को रोकने के लिए एईबीएएस उपस्थिति से जुड़ी एक भुगतान किश्त का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण केंद्रों की स्व-लेखा परीक्षा रिपोर्टिंग, कॉल सत्यापन, औचक निरीक्षण आदि जैसी विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से प्रभावी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, अनुपालन न करने वाले केंद्रों को काली सूची में डालने, निलंबन, लक्ष्य निरस्तीकरण आदि जैसे दंड लगाने का भी प्रावधान है।

**एनएपीएस**

- एनएपीएस के अंतर्गत , योजना की निगरानी हेतु केंद्र स्तर पर एक राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) और एक योजना निगरानी एवं समीक्षा समिति (एसएमआरसी) का गठन किया गया है। इसी प्रकार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर राज्य कार्यान्वयन समीक्षा समितियाँ (एसआईआरसी) गठित की गई हैं।
- इस योजना की निगरानी प्रत्येक जिले में राज्य शिक्षुता सलाहकार (एसएए) और सहायक शिक्षुता सलाहकार (एएए) के माध्यम से भी की जाती है, इसके अलावा इस उद्देश्य के लिए

क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालयों (आरडीएसडीई) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) का भी उपयोग किया जाता है। शिक्षुता पोर्टल योजना की निगरानी के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो उम्मीदवारों और प्रतिष्ठानों के सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों को एकत्रित करता है।

**जेएसएस**

- एमएसडीई समय-समय पर समीक्षा बैठकों और फील्ड विजिट के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पोर्टल के माध्यम से भी की जाती है।
- राज्य स्तर पर, जेएसएस की निगरानी और पर्यवेक्षण आरडीएसडीई द्वारा किया जाता है। आरडीएसडीई के अधिकारी प्रभावी निगरानी के लिए समय-समय पर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जेएसएस का दौरा और निरीक्षण करते हैं।
- जेएसएस स्तर पर, प्रत्येक जेएसएस में एक 16-सदस्यीय समिति, जिसे प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के नाम से जाना जाता है, स्थापित की गई है। जेएसएस का बीओएम समय-समय पर जेएसएस द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों की समीक्षा करता है। बीओएम के सदस्य समय-समय पर कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का दौरा करते हैं और जेएसएस के कामकाज में सुधार हेतु सुधारात्मक उपाय करने हेतु बीओएम की बैठक में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हैं।
- 2022-23 से जन शिक्षण संस्थान की योजना से जिन पांच जेएसएस को अलग कर दिया गया है, उनमें से एक जेएसएस आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से है।

**डीजीटी**

- आईटीआई संबंधित राज्य निदेशालयों के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण में कार्य करते हैं। ये राज्य निदेशालय आईटीआई के दैनिक कामकाज की निगरानी और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- निगरानी ढांचे को और मज़बूत बनाने के लिए, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने आईटीआई के लिए एक डेटा-आधारित ग्रेडिंग पद्धति शुरू की है। यह ग्रेडिंग प्रणाली प्रवेश, परीक्षा आदि जैसे व्यापक मानदंडों के आधार पर आईटीआई के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है।

****